न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नन्दराम बनाम राधेश्याम मु.नं. 82/25
	30.10.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	2.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26.12.25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	26.12.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22.01.26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	22.01.26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.02.26 को पेश हो।
श्रीमान जी F.D. कार्यवाही मर्जी बंटवारा स्कीम से सहमत हूँ। (हस्ताक्षर) 17/2/26 (महेश कुमार सैनी)	**17.2.26** पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं. 01 की ओर से अभिभाषक श्री लक्ष्मीनारायण मीना ने दिनांक 11.2.25 को स्वयं ने तहसीलदार मण्डावर से विभाजन हो पेश कर दिया था। तहसीलदार मण्डावर से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। उक्त विभाजन स्कीम पर विद्वान अभिभाषक वादी ने अनापत्ति जाहिर की। वकील वादी ने अन्तिम डिक्री हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार कर दावा वादी विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
नन्दराम ....बनाम.......... राधेश्याम मु.नं.– 82/24 किस्म – दावा	
मण्डावर को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय व अंतिम डिक्री के खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
82/2024	17.10.2024	17.02.2026

बउनवान

1. नन्दाराम पुत्र रमेशचन्द निवासी रामगढ तहसील महवा जिला दौसा राज.।

..वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र गुलाब निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा राज.।
2. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादी – श्री मधुसूदन सैनी ।
2. अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 – श्री लक्ष्मीनारायण मीना ।

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से प्रस्तुत दावा में दिनांक 22.04.2025 को पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार मण्डावर से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.12.2025 को प्राप्त हुआ जिस पर विद्वान अभिभाषक वादी ने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। इसलिए दावा वादी, विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है –

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे. (हैक्टे.)
1.	नन्दाराम पुत्र रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी रामगढ महवा	124/2/1	0.13
2	राधेश्याम पुत्र गुलाब जाति चौबदार निवासी रसीदपुर महवा	124/2/2	0.13
		किता 02	0.26

2. तहसीलदार मण्डावर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार मुताबिक निर्णय व अंतिम डिक्री के खाता विभाजन कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री नियमानुसार जारी करें।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

3. निर्णय दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **नन्दराम बनाम राधेश्याम वगै.**

दावा बाबत तकास्मा और स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 82/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री मधुसूदन सैनी, एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई व श्री लक्ष्मीनारायण मीना प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा सं. 124/2 रकबा 0.26 हैक्टे. वाके ग्राम पालौदा तहसील मण्डावर जिला दौसा का खाता विभाजन निम्न प्रकार से करने के आदेश दिये जाते है –

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा सं.	क्षे.(हैक्टे.)
1.	नन्दाराम पुत्र रमेशचन्द जाति बैरवा निवासी रामगढ महवा	124/2/1	0.13
2	राधेश्याम पुत्र गुलाब जाति चौबदार निवासी रसीदपुर महवा	124/2/2	0.13
		किता 02	0.26

नोट – जिस खातेदार की भूमि बैंक में रहन है, उस भूमि का ऋण अदायगी तक रहन का अंकन यथावत रहेगा।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.02.2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत इजराय हुकमनामा......			बवत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)